19/2017

राजस्व लोक अदालत -2017

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान जी,

राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी चौसाला 2072-2075 में मूलपाल पुत्र सागरपाल दर्ज है जो गलत है। प्रार्थी का नाम मूलपाल के स्थान पर धोंदूपाल लिखा जाना उचित है।

B.Singh
ह.प. दौलतपुरा
17.5.17

भू.अ.नि.
[illegible]
17/5/17

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

श्रीमान्, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भूअनि एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार ग्राम दौलतपुरा में जमाबन्दी चौ.सं. 2072-75 के खाता सं. 4 पर दर्ज खातेदार मूलपाल पुत्र सागरपाल के बजाय सही नाम मूलपाल के स्थान धोंदूपाल किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार (भू०अ०)
सपोटरा जिला-करौली

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, भूअनि एवं तहसीलदार सपोटरा, प्रस्तुत दस्तावेजात गवाहों के बयानों के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है। तह निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से खारिज।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

पत्रावली नम्बर	किस्म	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]	दावा	17.05.2017	17.05.2017

छोटूपाल पुत्र सागरपाल जाति राजपूत निवासी कल्याणपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राजस्थान)।

-वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-प्रतिवादी

<u>दावा बाबत् घोषणार्थ अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट.</u>

वादी द्वारा आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 मे वाद पत्र पेश किया। प्रकरण को कोर्ट कैम्प मे रैफर किया जाकर पक्षकारान को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप मे वाद तथ्य वादी इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 209,210,211,413,415,471, 473,474 वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील सपोटरा मे स्थित है। वादी का राजस्व रिकार्ड मे सहवन से मूलपाल पुत्र सागरपाल दर्ज हो गया था जबकि वादी का सही नाम छोटूपाल पुत्र सागरपाल है। वादी का सभी दस्तावेजात मे सही नाम छोटूपाल नाम ही दर्ज है। अतः वादी का राजस्व रिकार्ड मे सही नाम छोटूपाल दर्ज किया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर वादी एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर को सुना गया। सम्बन्धित पटवारी हल्का, भू0अभिलेख निरीक्षक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके मुताबिक वादी छोटूपाल द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं मजमेआम कैम्प स्थल जांच करने पर पाया गया कि वादी का पूर्व मे राजस्व रिकार्ड मे नाम सहवन से मूलपाल दर्ज कर दिया था जो कि जमाबंदी सम्बत् 2072-75 के खाता संख्या 4 पर दर्ज है। परन्तु संलग्न दस्तावेजात जैसे राशनकार्ड निर्वाचन पहचान पत्र इत्यादि मे वादी का नाम मूलपाल पुत्र सागरपाल जाति राजपूत दर्ज है जो सही है। अतः वादी का नाम मूलपाल पुत्र सागरपाल जाति राजपूत किया जाना उचित रहेगा।

वादी ने साक्ष्य मे अपना शपथ पत्र एवं दो स्वतंत्र गवाह नरेशपाल पुत्र लखपतपाल एव अशोक पुत्र प्रभूलाल के शपथ पत्र पेश किये। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम दोलतपुरा संबत् 2072-2075,

परिवार राशनकार्ड एवं निर्वाचन पहचान पत्र से यह स्पष्ट है कि वादी का नाम सहवन से पूर्व मे राजस्व रिकार्ड मे मूलपाल दर्ज हो गया था जबकि वादी का सही नाम प्रस्तुत सभी दस्तावेजात मे छोटूपाल पुत्र सागरपाल दर्ज है, इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे सही नाम छोटूपाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात, रिपोर्ट पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार, दो स्वतंत्र गवाहों के बयान के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है। वादी का सही नाम मूलपाल पुत्र सागरपाल के स्थान पर छोटूपाल पुत्र सागरपाल जाति राजपूत घोषित किया जाता है। तहसीलदार सपोटरा को वादी की सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 209, 210,211,413,415,471,473,474 कुल किता 9 का कुल रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा ग्राम दोलतपुरा तहसील सपोटरा मे वादी का सही नाम छोटूपाल पुत्र सागरपाल जाति राजपूत दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.05.2017 को सरे कैम्प कोर्ट मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी(एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत"न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला करौली (राज0)